


13-8-19 वकील उभायपत्र उपस्थित वादस सुनी गई वादस पर गणन किया गया पत्रवली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विकृत निर्णय पुस्तक से लिखाया जाकर सुबुले न्यायालय में सुनाया जाकर शाहील पत्रवली किया गया। नियमानुसार ब्याम्प पेशा होने पर डिफ्री जारी है। पत्रवली नम्बर से क्रम भी जाकर बाद तकनील दाखिल इफतर है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


 (कापिल मेहता)
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

न्याया
 पीठासीन
 राजस्व व
 1 स
 ह
 1 म
 ह
 2 स
 ह
 3 त
 दावा

1. श्र
 2. श्र
 3. स
 व
 इस न्याय
 चक 7
 131/359
 पत्थर न
 23/2/
 नम्बर 21
 2, 3, 4,
 जमावन्दी
 व
 की पैदाव
 स्व. अर्या
 2 का घर
 के अनुसा
 वंटवारा ह
 (क)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल मादव आर एएच

राजस्व वाद संख्या :- 182/2019

- 1 सन्दीप पुत्र श्री मोहनलाल जाति विश्णोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादी

-- वकील --

- 1 मोहनलाल पुत्र श्री अखाराम जाति विश्णोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 रविन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति विश्णोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण
3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

-- उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री कुलदीप कुमार विश्णोई अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रलाद सुथार अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3

-- निर्णय :-

दिनांक :- 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 131/359 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 24/2/.203, 25/1/.202 पत्थर नम्बर 128/361 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 21/1/0.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/1/.228, पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 21/1/.228, 22/1/.228 पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 कुल 4.531 हैक्टर दर्ज बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि स्वयं की पैदाकर्ता सम्पत्ति नहीं है, पैतृक सम्पत्ति है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा स्व. अखाराम से विरास्तन मिली है। उक्त कृषि भूमि की वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का घराघरू बंटवारा किया हुआ है। जिसमें वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि बंटवारे के अनुसार दी हुई है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार से बंटवारा हुआ है।

(क) वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1 ता 5, पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 22/1/.228 कुल 1.493 हैक्टर कृषि भूमि कब्जा काश्त में है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 128/361 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 21/1/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/1/.228 पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 21/1/.228 कुल 1.368 हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में है।



सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 2

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काशत की भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 131/359 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 24/2/203, 25/1/202 कुल 1.670 हेक्टर भूमि कब्जा काशत में है।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि अनुसार घराघरू बंटवारे में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज काशत करते चले आ रहे हैं। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण शीव व रकमराज का विवाद रहता है, एवम् साथ ही वादी को अपने हक की कृषि भूमि पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

वादी इस आशय की घोषणा फरमाईं जानें के अधिकारी हैं, कि वादपत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एवम् वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काशतकार है तथा इसी अनुसार अपना खाता अलग कायम कराने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी को आज से 15 दिन पूर्व मौजा गांव मैनावाली में निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एवम् वादी के हक व हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि के अनुसार वादी के नाम से उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकार्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया यदि वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 3 को उपरोक्त कृषि भूमि का भू धारक होने के कारण वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। कृषि भूमि हनुमानगढ़ तहसील में है, एवम् वाद कारण मौजा मैनावाली में उत्पन्न हुआ है इसलिये श्रीमान्जी को दावा सुनने के समस्त अधिकार प्राप्त है अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) घोषणा फरमाईं जावे कि वादी चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1 ता 5, पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 22/1/.228 कुल 1.493 हेक्टर भूमि का खातेदार काशतकार है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काशत की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/49 के पत्थर नम्बर 128/361 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 21/1/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/1/.228, पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 21/1/.228 कुल 1.368 हेक्टर कृषि भूमि का विभाजन वादी एवम् प्रतिवादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग किया जावे।

(ग) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिफे सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व द्वारा इकवाल दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया जाद पत्र कि चरण संख्या 1 ता 7 स्वीकार करते हुए कथन किया कि वाद पत्र वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जावे ते हम प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया

* जिसके अन्तर्गत कथन किया कि विवादित कृषि भूमि का पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार है,

सहायक पत्रकार
राजस्थान

लगातार 3

धराधर बटवारा के सम्बंध में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बटवारा किया होने के सम्बंध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ही मालूम है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट पटवार मण्डल घक 23 एन.डी.आर. के राजस्व रिकार्ड के अनुसार मोहनलाल पुत्र अखराम जाति बिश्नोई निवासी मैनवाली के नाम घक 7 एम.एच.यू.एम. के खाता संख्या 52/49 में कित्ता 9 = 4.531 हैक्टर भूमि दर्ज है। अगर फिकरा संख्या 3 में दर्शाये अनुसार विवादित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में मुताबिक दावा करवाया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जाते हैं, तो उस सूत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम मोहन स्वामी भी कायम की जावे ताकि राज्य सरकार को पूरा-संरक्ष-पाया प्राप्त रहे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य नैकीरी प्रकरण में प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में तनवीजात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् इकवालदावा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निणय करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38-39-40-53, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एस.सी.) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (मुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक गान्यता दी है। पारिवारिक समझौता घोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:: आदेश ::-

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अधिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये इकवालदावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादाधीन कुल 4.531 हैक्टर भूमि में से वादी सन्दीप पुत्र श्री मोहनलाल को 1.493 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल को 1.368 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

सहायक क्लर्क एवं उपअधीनकारी न्यायमंडल

लगातार 4

8

1 वादी संख्या 1 सदीप पुत्र श्री मोहनलाल जाति विशनोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिरात की भूमि

चक नम्बर	खाता नम्बर	प्लॉट नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7	52/49	129/362 (60)	किला 5 सालम	1.265 हेक्टर
एम डब्ल्यू एम		129/361 (59)	22/1/228	0.228 हेक्टर
		कुल भूमि		1.493 हेक्टर

2 प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द पुत्र श्री मोहनलाल जाति विशनोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिरात की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	प्लॉट नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7	52/49	128/361 (49)	21/1/228.	1.140 हेक्टर
			22/2/228.	
			23/2/228.	
			24/2/228.	
			25/1/228	
	129/361 (50)	21/1/228	0.228 हेक्टर	
	कुल भूमि :-			1.368 हेक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/वारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)
उपस्थित अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 182/2019

- 1 सन्दीप पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-- वादी

-- बनाम --

- 1 मोहनलाल पुत्र श्री अखाराम जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 रविन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :- 19.08.2019

वादी की ओर से श्री कुलदीप कुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रहलाद सुथार अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादाधीन कुल 4.531 हैक्टर भूमि में से वादी सन्दीप पुत्र श्री मोहनलाल को 1.493 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र पुत्र मोहनलाल को 1.368 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 सन्दीप पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एम.डब्ल्यू.एम.	52/49	128/362 (60)	1 ता 5 सालम	1.265 हैक्टर
		129/361 (50)	22/1/.228	0.228 हैक्टर
कुल भूमि :-				1.493 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एम.डब्ल्यू.एम.	52/49	128/361 (49)	21/1/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/1/.228	1.140 हैक्टर
		129/361 (50)	21/1/.228	0.228 हैक्टर
कुल भूमि :-				1.368 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर

